

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

मौद्रिक नीति वर्ष 2019-20 में उदार बनी रही। धीमी गति से विकास और निरन्तर मुद्रास्फीति के कारण, उक्त वित्त वर्ष में एमपीसी की लगातार चार बैठकों में रेपो दर में 110 आधार अंकों की कटौती की गई। हालांकि, दिसंबर, 2019 में आयोजित पांचवीं बैठक में इसे अपरिवर्तित रखा गया। वर्ष 2019-20 में आर्थिक दो महीनों में नकदी की तंगी की स्थिति थी; परंतु बाद में इस स्थिति में सुधार हो गया है। तथापि, अर्थव्यवस्था को वित्तीय प्रवाहों में विवशताएं बनी रहीं क्योंकि बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों, दोनों के लिए ही क्रेडिट वृद्धि में गिरावट रही। वर्ष 2019 के मार्च से सितंबर के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनिष्टादक अग्रिम अनुपात 9.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों के संबंध में यह मामूली वृद्धि के साथ मार्च, 2019 में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर, 2019 में 6.3 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात की पूँजी मार्च 2019 और सितंबर, 2019 के बीच 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 15.1 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2019-20 के दौरान (16 जनवरी, 2020 तक) निफ्टी 50 और S&P पी बी (BSE) सेन्सेक्स रिकार्ड उच्चतर सीमा पर पहुंचकर क्रमशः 12,335 और 41,952 पर बंद हुआ। पूर्ववर्ती समाधान चैनलों की तुलना में आईबीसी (IBC) के अंतर्गत समाधान काफी अधिक रहा। शामिल राशि की प्रतिशतता के रूप में वसूल की गई राशि वर्ष 2017-18 में 49.6 प्रतिशत और 2018-19 को 42.5 प्रतिशत था। आई.बी.सी. के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों के औसत लगभग 340 दिन लगते हैं। जिसमें मुकदमें बाजी में लगा समय भी शामिल है। इसके विपरीत पूर्व व्यवस्था 4.3 वर्ष लगते थे।

वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

4.1 वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन संशोधित साविधिक रूप रेखा के अधीन किया गया जो कि 27 जून, 2016 को लागू हुई। जनवरी 2020 के अंत में यथास्थिति, वित्त वर्ष 2019-20 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पांच बैठकों का आयोजन किया गया है। प्रथम चार बैठकों में एमपीसी ने मौद्रिक नीति की स्थिति में तटस्था से उदारता की ओर जाने का बदलाव करते हुए नीतिगत रेपो दर में कटौती करने का निर्णय लिया। इस रेपो दर को अप्रैल, 2019

में 6.25 प्रतिशत से अक्टूबर, 2019 में 5.15 प्रतिशत पर लाते हुए इसमें 110 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की गई (तालिका 1)। एमपीसी का यह निर्णय कम मुद्रास्फीति तथा अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर घरेलू विकास को सृदृढ़ करने की आवश्यकता से प्रेरित था।

4.2 दिसंबर, 2019 में अपने पांचवें ट्रिमसिक मौद्रिक नीतिगत विवरण में, एमपीसी ने अनेक कारणों में से एक बढ़ती हुई उपभोक्ता मूल्यवृद्धि को रेखांकित करते हुए रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित

रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने प्रभावी मौद्रिक नीतिगत परिवर्तन होने तक प्रतीक्षा करने के अपने आशय का भी संकेत दिया। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के साथ-साथ विभिन्न आवृत्ति संकेतकों ने

घरेलू और बाहरी दोनों ही मांग दशाओं में कमज़ोरी का संकेत किया; अतः वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी अनुमानों को संशोधित कर 5 प्रतिशत तक कम किया गया।

तालिका 1: नीतिगत दरों में संशोधन

प्रभावी तारीख (प्रतिशत)	रेपो दर (प्रतिशत)	विपरीत (रिवर्स) रेपो दर (प्रतिशत)	बैंक दर/ एमएसएफ दर* (प्रतिशत)	नकद रिजर्व अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	सांविधिक तरलता (लिक्विडिटी) अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)
04-04-19	6.00	5.75	6.25	4.00	19.25
06-06-19	5.75	5.50	6.00	4.00	19.00
07-08-19	5.40	5.15	5.65	4.00	18.75
04-10-19	5.15	4.90	5.40	4.00	18.50**
05-12-19	5.15	4.90	5.40	4.00	18.50
04-01-20	5.15	4.90	5.40	4.00	18.25

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणियां: एनडीटीएल नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी हैं।

* बैंक दर को 13 फरवरी, 2012 से एमएसएफ दर के समरूप बनाया गया।

** सांविधिक नकदी अनुपात को विभिन्न चरणों में कम करके 18 प्रतिशत पर लाने, यथा, 5 जनवरी, 2019 से 19.25 प्रतिशत; 13 अप्रैल, 2019 से 19.00 प्रतिशत; 6 जुलाई, 2019 से 18.75 प्रतिशत; 12 अक्टूबर, 2019 से 18.50 प्रतिशत; 4 जनवरी, 2020 से 18.25 प्रतिशत तथा 11 अप्रैल, 2020 से 18.00 प्रतिशत पर लाने के लिए आरबीआई की 5 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना देखें।

तालिका 2: प्रत्येक वर्ष के मार्च के अंत में मौद्रिक समुच्चयों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)

Items	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*	2017-18	2018-19	2019-20#
प्रचालन में मुद्रा	9.2	11.3	14.9	-19.7	37	16.8	11.9
बैंकों के पास नकदी	10.7	12.4	6.6	4.2	-2.1	21.4	15.8
जनता के पास नकदी	9.2	11.3	15.2	-20.8	39.2	16.6	11.8
भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकरों का जमा	34	8.3	7.8	8.4	3.9	6.4	17.1
मांग जमा	7.8	9.8	11	18.4	6.2	9.6	13.1
मियादी जमा	14.9	10.7	9.2	10.2	5.8	9.6	9.8
आरक्षित धन	14.4	11.3	13.1	-12.9	27.3	14.5	13.2
संकीर्ण धन	8.5	11.3	13.5	-3.9	21.8	13.6	12.5
Broad Money (M3)	13.4	10.9	10.1	6.9	9.2	10.5	10.4

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: * 1 अप्रैल, 2016 की तुलना में 31 मार्च, 2017 (इसमें एमओ, सीआईसी और आरबीआई के पास बैंकरों का जमा शामिल नहीं है)


दिसंबर 2019 की

4.3 वर्ष 2018-19 के दौरान मौद्रिक समुच्चयों की वृद्धि दरों में, वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण के कारण तथा पुनः वर्ष 2017-18 में पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया के कारण असामान्य व्यवहार का अनुभव करने के बाद प्रत्यावर्तन की दीर्घकालिक प्रवृत्ति देखी गई।

4.4 दिसंबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित (रिजर्व) धन की वृद्धि दर 13.2 प्रतिशत थी (तालिका 2 और चित्र 1)। अवयव (कपोनेंट) पक्ष के संदर्भ में, मुद्रा संचलन (सीआईसी) के फलस्वरूप आरक्षित धन का विस्तार हुआ। (तालिका 2 और चित्र

1) स्रोत पक्ष के संदर्भ में, वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक (27 दिसंबर, 2019 तक की स्थिति) धन-विस्तार में मुख्य रूप से आरबीआई निवल विदेशी परिसंपत्तियों (एनएफए) का योगदान रहा जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यह योगदान निवल घरेलू परिसंपत्तियों (एनडीए) का था। एनडीए के अंतर्गत सरकार को आरबीआई द्वारा दिया जाने वाला ऋण निवल मुख्य ने आरक्षित धन के प्रसार में योगदान किया है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में इसका परिणाम निम्नतर रहा है। अन्य स्रोतों के अंतर्गत बैंकों को आरबीआई के देनदारीयों में कमी आई जोकि वर्ष 2019-20 में अब तक अधिशेष नकदी


चित्र 1: आरक्षित धन वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)




स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: *: दिसंबर 20, 2019 को।

चित्र 2: व्यापक धन वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)



चित्र 3: मियादी जमा (वर्ष दर वर्ष)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: दिसंबर 2019 के आँकड़े, दिसंबर 20 तक के हैं।


अवस्था का संकेत है। इस पर अगले खंड में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

4.5 व्यापक मुद्रा (एम 3) की वृद्धि में 2009 से गिरावट आ रही है (चित्र 2)। हालांकि, 2018-19 से इसमें थोड़ा बढ़ है, जो मुख्यतः सकल जमाओं में वृद्धि के कारण हुआ और दिसंबर, 2019 में यह 10.4 प्रतिशत है। यद्यपि, यह नोट किया जाए कि यह 2000-01 से 2018-19 के बीच 14.9 प्रतिशत वृद्धि से काफी कम है (चित्र 2)। संघटक पक्ष पर, इस वर्ष के दौरान एम 3 में विस्तार सकल जमाओं के कारण है जिससे 20 दिसंबर 2019 को 10.1 प्रतिशत की उच्चतर

वृद्धि दर्ज की गई जो एक वर्ष पूर्व 9.2 प्रतिशत थी। 2019-20 में मियादी जमा और मांग जमा दोनों में वृद्धि हुई जो दिसंबर 2018 की तुलना में दिसंबर 2019 में उच्च रही (चित्र 3)। स्रोत पक्ष में, बैंक द्वारा सरकार के लिए ऋण से, मुख्यतः एम 3 के विस्तार का योगदान रहा है।

4.6 1990 के दशक के मध्य से 2016-17 के बीच, मौद्रिक गुणक (एम 3/एम 0 के अनुपात में मापा गया) अधिकतर बढ़ रहे थे (चित्र 4) हालांकि 2017-18 से यह घट रहा है। मौद्रिक गुणक में 2019-20 के दौरान थोड़ी गिरावट दर्ज की गयी। (चित्र 4)

चित्र 4: मौद्रिक गुणक (एम 3/एम 0)



स्रोत: आरबीआई


नोट: * दिसंबर, 2019 को

तरलता (नकदी) की स्थिति और इसका प्रबंधन

4.7 वर्ष 2019-20 में प्रणालीगत तरलता जून 2019 से काफी हद तक अधिशेष में रही है (चित्र 5)। चार खुला बाजार संचालन नीति (ओएमओ) क्रय नीलामी और एक यूएस. 5 विलियन की क्रय-विक्रय नीलामी से 2019-20 की प्रथम तिमाही में स्थिर नकदी संचरण किया गया। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्रचालन ने गत वर्ष के समायोजन के विपरीत घरेलू रूपए की तरलता का संवर्धन किया। साथ ही,

सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) चार चरणों में प्रत्येक बार 25 आधार बिंदु दर (बीपीएस) कम की गई जो क्रमशः 13 अप्रैल 2019, 6 जुलाई 2019, 12 अक्टूबर 2019 तथा 4 जनवरी 2020 से प्रभावी हुई जिससे बैंकों की शुद्ध सावधिक और मांग उत्तरदायित्व (एनडीटीएल) 18.25 प्रतिशत हुई, यह दिसंबर 2018 में घोषित रूपरेखा के अनुसार है जिसका लक्ष्य है एसएलआर को तरलता व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) से साथ एकरूप करना। विमुद्रीकरण के बाद, अधिशेष तरलता के सृजक अन्य कारक, दो वर्ष की उच्च मांग के पश्चात्, मुद्रा मांग सीमित रही।

चित्र 5: दैनिक नकदी प्रबंधन




स्रोत: मुद्रा बाजार परिचालन द्वारा निबल तरलता संवर्धन, आर बी आई

4.8 2019-20 में (जनवरी 2020 तक) अप्रैल और मई, केवल दो माह ऐसे रहे जब सरकार के सीमित व्यय तथा नकदी की उच्च मांग के कारण तरलता न्यून रही। भारत सरकार के नकदी-शेष का मोचन - प्रतिवर्ष अप्रैल में एक नियमित लक्षण - इस चालू वर्ष में काफी कम रहा जिसका कारण चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण सरकारी खर्च में नियंत्रण होना है। साथ ही, इसके फलस्वरूप, आर बी आई ने, अप्रैल में तीन वर्ष की समयावधि के लिए यू.एस. \$5 बिलियन की यू.एस. \$/₹ की

विनिमय नीलामी की गई जिससे ₹ 34,874 करोड़ का संचरण हुआ तथा मई में दो ओ.एम.ओ. क्रय नीलामी से ₹ 25,000 करोड़ प्राप्त हुए। सरकार द्वारा बढ़ाए गए खर्च, आर बी आई द्वारा क्रय विदेशी मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की वापसी, ₹ 27,500 करोड़ के दो ओ.एम.ओ. क्रय नीलामी से रिजर्व बैंक जून में अधिशेष तरलता बनाए रख सका। जुलाई और अगस्त में विदेशी मुद्रा विक्रय की कुछ घटनाओं के बावजूद तरलता अधिशेष में रही।

चित्र 6: पॉलिसी कॉरिडॉर और कॉल दर



स्रोत-आरबीआई

4.9 भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यू. ए. सी. आर) में भी सुखद तरलता स्थिति नजर आ रही है जो तरलता समायोजन स्थिति (एल ए एफ) कॉरीडार के भीतर अधिकांशतः रेपो दर के समीप देखी जाती है। (चित्र 6)

4.10 एलसीआर के साथ बैंकों की प्रभावी तरलता आवश्यकताओं को समंजस्य स्थापित करने की दिशा में बढ़ने की दृष्टि से अप्रैल 2019 में एक रूपरेखा दी गई थी ताकि अप्रैल 2020 तक एन डी टी एल के 15 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए चार चरणों में 50 बी पी एस द्वारा तरलता व्याप्ति अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा को बढ़ाया जा सके। अतः इस प्रकार, 1 अप्रैल 2020 तक, एस एल आर से निकाले गए कुल उच्च गुणता नकदी पूँजी बैंकों के एन डी टी एल का 17.0 प्रतिशत हो जाएगी।

जी-सैक (सरकारी प्रतिभूति) बाजार घटनाक्रम

4.11 2019-20 की पहली छमाही के दौरान, 10 साल के बैंचमार्क जी-सैक की लाभप्राप्ति ज्यादातर कम रही (चित्र-7) इसके मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों की कमी, अधिशेष तरलता और लगातार चार नीतिगत दर में कटौती की मात्रा (जो 110 बीपीएस) की कमी हैं।

4.12 2019-20 की पहली तिमाही में, अप्रैल से शुरू होकर मई 2019 तक, 10-वर्ष की बैंचमार्क लाभप्राप्ति (यील्ड) में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के

कारण मामूली वृद्धि हुई। इसके बाद, इसमें अधिकतर गिरने की प्रवृत्ति दिखी। लाभप्राप्ति (यील्ड) में नरमी के लिए प्राथमिक कारकों में यूएस फेड के मौद्रिक नीति रुख (वैश्विक विकास सरोकारों और चल रहे व्यापारिक तनाव) में बदलाव, बैंकिंग क्षेत्र की तरलता में सुधार, आरबीआई द्वारा लगातार नीतिगत दर में कटौती के साथ-साथ टटस्थ रुख से परिवर्तनशील रुख में बदलाव है। इसके अतिरिक्त, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी ने भी धारणा को बल दिया है। सरकार को आरबीआई अधिशेष के स्थानांतरण, एमपीसी द्वारा समावेशी रुख, महत्वपूर्ण और निरंतर अधिशेष चल निधि, ने भी लाभप्राप्ति (यील्ड) को सीमित किया।

4.13 2019-20 की दूसरी तिमाही की शुरूआती अवधि के दौरान बैंचमार्क यील्ड में नरमी का दौर जारी रहा, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट के बीच दूसरे भाग में कटौती की उम्मीद थी। इसके बाद नए 10 साल की प्रतिभूति और कच्चे तेल की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि की खबर के बाद लाभप्राप्ति में मजबूती आने लगी। दिसम्बर 2019 की एमपीसी की बैठक के बाद जहां पॉलिसी रेपो दर अपरिवर्तित थी वहीं दस साल की जी-सैक लाभप्राप्ति (यील्ड) 16 दिसंबर, 2019 को 6.8 प्रतिशत हो गई।

4.14 आरबीआई द्वारा “स्पेशल मार्केट अपरेशन”, जिसका अर्थ था दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद और साथ ही लघु अवधि की प्रतिभूतियों की बिक्री से दस

चित्र 7: वर्ष का बैंचमार्क जी-सैक लाभप्राप्ति (यील्ड)




स्रोत: सी सी आई एल

साल के जी-सेक पर लाभप्राप्ति (यील्ड) को नीचे लाने में सहायता की। इससे दीर्घ और अल्प अवधि बॉन्ड लाभप्राप्ति (यील्ड) के बीच अंतर को कम करके लाभ प्राप्ति (यील्ड) वक्र में सुधार लाने की उम्मीद बनी। पहले दौरे में 10000 करोड़ ₹ मूल्य का बिक्री और खरीद की गयी। जो 23 दिसम्बर 2019 को पूरा किया गया। दूसरा और तीसरा दौर क्रमशः 30 दिसम्बर, 2019 और 6 जनवरी, 2020 को इसी राशि के लिए पूरा किया गया था। इसकी वजह से दस साल की जी-सेक की लाभप्राप्ति (यील्ड) में मामूली गिरावट आई। 10 वर्षीय बेचमार्क बॉड (6.45 प्रतिशत जीएस 2020) लाभप्राप्ति (यील्ड) 16 दिसम्बर, 2019 को 6.8 प्रतिशत पर बंद हुआ और 20 दिसंबर, 2019 को घट कर 6.6 प्रतिशत और 02 जनवरी, 2020 को घटर 6.5 प्रतिशत हो गया। तथापि 10 वर्षीय बेचमार्क में पुनः परिवर्तन आया और 15 जनवरी, 2020 को यह 6.63 प्रतिशत हो गया।

बैंकिंग क्षेत्र

4.15 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात प्रतिशत के रूप में जी.एन.पी.ए. का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात सितंबर 2019 के अंत में 9.3 प्रतिशत पर समान बना रहा, जैसा कि मार्च, 2019 के अंत में था। इसी प्रकार उसी अवधि में उनका पुनर्गठित मानक अग्रिम अनुपात 0.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का स्ट्रेस्ड अग्रिम अनुपात सितंबर 2009 तक 9.7 प्रतिशत पर बना रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के

चित्र 8: बकाया ऋणों और रेपो दर भारित औसत ऋण दर



स्रोत: आरबीआई

बैंक (पीएसबी) का जीएनपीए अनुपात 12.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा, जबकि स्ट्रेस्ड एडवांस अनुपात मार्च 2019 में 12.7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 के अंत में 12.9 प्रतिशत हो गया।

4.16 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजी और जोखिम भारित परिसंपदा अनुपात (कैपिटल टू रिस्क वेटेड अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2019 से सितंबर 2019 के बीच 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 15.1 प्रतिशत तक हो गया था, बहुत हद तक ऐसा इस वजह से हुआ था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सी सीआरएआर में सुधार होना था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपदा पर प्रतिप्राप्ति (आरओए) 2019-20 की पहली तिमाही में (-) 0.1 प्रतिशत से 0.4 तक वसूल की गई जबकि उनकी इक्विटी पर प्रतिप्राप्ति इसी अवधि के दौरान (-) 1.6 प्रतिशत की तुलना में 4.1 प्रतिशत हो गई थी। तथापि बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मार्च 2016 से निरंतर ऋणात्मक लाभप्रदता अनुपात दिखा रहे हैं मुख्य रूप से प्रावधान करने की आवश्यकता के लिए।

मौद्रिक संचरण

4.17 मौद्रिक संचय का प्रसारण 2019 में तीनों स्तरों पर कमज़ोर रहा: दरसंरचना दर, ऋण की मात्रा और अवधि संरचना तीनों स्तर पर 2019 में कमज़ोर, उधार की मात्रा और अवधि संरचना


(क) दर संरचना: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में जनवरी

2019 से 135 बीपीएस की रेपो दर में कमी होने के बावजूद 2019 में बिल्कुल गिरावट नहीं आई है। जनवरी 2019 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का डब्ल्यूएएलआर 10.38 प्रतिशत था और अक्टूबर, 2019 में 10.40 प्रतिशत है। (चित्र 8) ताजा ऋणों के लिए मौद्रिक संचरण थोड़ा बेहतर हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ताजा ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर 47 बीपीएस की कमी हुयी और जबकी निजी क्षेत्र के बैंकों में जनवरी से

अक्टूबर 2019 में 40 बीपीएस की कमी आई। हालांकि यह कटौती, 2019 के रेपो दर में की गई 135 बी पी एस की कटौती से बहुत कम है।

4.18 इस दशक में क्रेडिट स्प्रेड (रेपो रेट और डब्ल्यूएएलआर के बीच अंतर) सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण पर डब्ल्यूएएलआर रेपो दर की तुलना में 525 बीपीएस अधिक है, जो यह स्पष्ट करता है कि 2019 में बैंकों

चित्र 9: क्रेडिट स्प्रेड




स्रोत: आर बी आई

टिप्पणी: नीले रंग का आशय आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर) में कटौती, लाल रंग, रेपो दर में वृद्धि हरा रंग रेपो दर में कटौती को दर्शाता है।

क्रेडिट स्प्रेड को रेपो रेट और डब्ल्यू ए एल आर के बकाया ऋण के अन्तर के रूप में परिभाषित किया गया है।

चित्र 10: बचत जमा दर



स्रोत: आरबीआई

की रेपो दर में कमी उधारी दरों की तरफ कोई प्रसारण नहीं है। (चित्र 9)


4.19 बचत जमा दर में 2019 में 25 बी पी एस की कमी की गयी है। (चित्र 10)। मियादी जमा दर जो अधिक महत्वपूर्ण है, में जनवरी, 2019 और अक्टूबर 2019 के बीच में 16 बीपीएस की कमी देखी गई है। एक महत्वपूर्ण सीमित करने वाला कारण लोक भविष्य निधि (पी पी एफ) जैसी लघु बचत योजना पर दी जाने वाली दर प्रतीत होती है। वर्ष 2014 में भारित औसत मियादी जमा दर वही थी जो सार्वजनिक भविष्य निधि की थी, परन्तु अक्टूबर, 2019 के अंतर में उसमें अंत

115 बी पी एस है (चित्र 11)। इस बात की संभावना नहीं है कि मियादी जमा दर इन्हीं किस्मों की योजनाओं पर निर्धारित दरों में कमी के बिना कम हो सके।

(ख) मियादी संरचना


4.20 भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक सुगमता और एलएएफ तरलता का प्रभाव अल्पकालीन व्याज दरों पर रहा। परन्तु इस क्षति की भरपाई, दीर्घकालिक परिपक्वता के माध्यम से नहीं हो रही है। क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों (364 दिन टी बिल) पर प्रतिफल में कमी, दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों

चित्र 11: राज्य सरकारी बैंकों की मियादी जमा दर और लोक भविष्य निधि पर व्याज दर लोक



स्रोत: आर बी आई और वित्त मंत्रालय

चित्र 12: बांड लाभप्राप्ति (योल्ड) (प्रतिशत)



स्रोत: सी सी आई एल


(10 वर्ष सरकारी प्रतिभूति) की तुलना में काफी तेजी गति से हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष खुले बाजार संचालन द्वारा प्रचालन में बदलाव करने के बाद छुट-पुट कमी को छोड़कर वास्तव में माह अगस्त 2019 के बाद 10 वर्ष सरकारी प्रतिभूति पर प्रतिफल में अधिक कमी नहीं आई है (पूर्व खंड में विवरण) (चित्र 12)।

(ग) साख वृद्धि

4.21 पॉलिसी दरों में कमी आने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के प्रारंभ से ही साख वृद्धि में गिरावट होती रही है। बैंक क्रेडिट वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) माह अप्रैल 2019 में 12.9 प्रतिशत से सामान्य होकर 20 दिसंबर 2019 तक 7.1 प्रतिशत हो गई। साख वृद्धि में सुधार


होना दिसंबर 2018 से उस समय से हो गया जब यह 13.9 प्रतिशत था (चित्र 13 (क))। साख वृद्धि में सुधार उन व्यक्तिगत ऋणों को छोड़कर जिनका तीव्र गति पर और वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक अत्यधिक तीव्र गति पर बढ़ना जारी रहा, गैर खाद्य क्रेडिट के सभी प्रमुख खंडों में देखा गया (आंकड़े नवंबर, 2019 तक उपलब्ध हैं)। ऐसी नरमी सेवा क्षेत्र की क्रेडिट वृद्धि में तीव्र गिरावट के परिणामस्वरूप हुई है। उद्योग में क्रेडिट वृद्धि वृद्धि भी हाल ही के माहों में काफी धीमी गति से देखी गई है (चित्र 13 (ख))। इसके धीमी गति होने का मुख्य कारक, लघु और मध्यम उद्यमों एवं वस्त्र उद्योगों की क्रेडिट वृद्धि का ऋणात्मक वृद्धि होना है। (तालिका 3)।

**चित्र 13 (क): बैंक क्रेडिट वृद्धि
(वर्ष दर वर्ष)**



स्रोत: आर बी आई

**चित्र 13 (ख): क्षेत्रीय बैंक क्रेडिट वृद्धि
(वर्ष दर वर्ष)**



तालिका 3: मुख्य क्षेत्रों में उद्योग वार बैंक क्रेडिट में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष प्रतिशत)

मद	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	नवंबर-19#
गैर खाद्य क्रेडिट	8.6	9.1	8.4	8.4	12.3	7.2
उद्योग	5.6	2.7	-1.9	0.7	6.9	2.4
सूक्ष्म एवं लघु	9.1	-2.3	-0.5	0.9	0.7	-0.1
मध्य	0.4	-7.8	-8.7	-1.1	2.6	-2.4
बड़े	5.3	4.2	-1.7	0.8	8.2	3.0
वस्त्र उद्योग	-0.1	1.9	-4.6	6.9	-3.0	-6.1
अवसरंचना	10.5	4.4	-6.1	-1.7	18.5	7.0

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई)

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं और उन चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए 90 प्रतिशत तक कुल गैर खाद्य क्रेडिट समाविष्ट करते हैं।

नवंबर 22, 2019 को

बॉक्स 1: बैंकिंग विनियमों से संबंधित मुख्य पॉलिसी में परिवर्तन

- परिसंपत्ति वर्गीकरण में दरजा घटाए बिना 'मानक' के रूप में वर्गीकृत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋणों की एकबार भुगतान अनुसूची पुनः बनाने की अनुमति देना।

उन एम एम ई को जो 1 जनवरी, 2019 का 'मानक' के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण के साथ चूककर्ता थे मौजूदा ऋणों की एक बार भुगतान अनुसूची तैयार करने की अनुमति, परिसंपत्ति वर्गीकरण दर्जा घटाए बिना दी गई थी। यह योजना उन एम एम ई के लिए उपलब्ध है जो लक्ष्य मानदंड को पूरा करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 1 जनवरी 2019 को बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्त नियमों के कुल एक्सपोजर पर 25 करोड़ की पूँजी भी शमिल है। ऋणों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने की स्कीम को 31 मार्च, 2020 तक लागू करना होगा और इस योजना के अधीन तैयार की गई ऋणों की भुगतान सूची के खातों के संबंध में 5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रावधान को बनाए रखना होगा।

2. अवसंरचना निवेश न्यासों को बैंक ऋण:

बैंकों को कुछ रक्षोपायों की शर्तों के अधीन अवसंरचना निवेश न्यासों को ऋण देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था जिसमें अवसंरचना निवेश न्यासों को आरक्षित छोड़ देने से संबंधित बोर्ड अनुमोदित नीति, अवसंरचना निवेश न्यास स्तर पर नकदी प्रवाह की पर्याप्तता सहित सभी महत्पूर्ण पैरामीटरों का निर्धारण, अवसंरचना निवेश न्यासों का समग्र नियंत्रण और नियंत्रणाधीन विशेष प्रयोजन संस्थाओं का बोर्ड अनुमोदित नीति के अंतर्गत अनुमत्य नियंत्रण के अंतर्गत होना, नियंत्रणाधीन विशेष प्रयोजन संस्थाओं के कार्य निष्पादन जारी आधार पर मॉनीटर करना और उन्हीं अवसंरचना निवेश न्यासों को ही ऋण देना जहां कोई भी नियंत्रणाधीन विशेष प्रयोजन संस्था 'वित्तीय कठिनाई' का सामना नहीं कर रही हो।

3. दबावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) परिसंपत्तियों का समाधान:

रिजर्व बैंक ने दबावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) परिसंपत्तियों के समाधान के लिए नया प्रडेशियल ढांचा जारी किया है। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विनियामक प्रस्ताव के नियंत्रक मूल सिद्धांत निम्नवत हैं:-

- बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम क्षेत्रों के चूककर्ताओं की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग;
- विनिर्दिष्ट समय सीमा और स्वतंत्र उधार मूल्यांकन की शर्तों के अधीन, समाधान योजनाओं के अभिकल्प और कार्यान्वयन के संबंध में उधारदाताओं को पूर्ण विवेकाधिकार;
- पूर्व की सभी समाधान स्कीमों (54ए, एसडीआर 5/25 आदि) का अतिक्रमण करते हुए, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सामंजस्यपूर्ण रूपरेखा;
- दिवालियापन कार्यवाहियों को प्रारंभ करने और समाधान योजना के कार्यान्वयन में विलंब के लिए अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में हतोत्साहन कार्रवाई की प्रणाली;
- पुनर्गठन किए जाने पर परिसंपत्ति वर्गीकरण व्यवस्थाओं को वापस लेना। भावी मूल्यवद्धि युक्त अवधि के लिए संतोषजनक कार्यनिष्ठादान के सार्थक प्रदर्शन पर होना।
- ऋणों का भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के प्रयोजनार्थ, 'वित्तीय कठिनाई' को बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बेसल समिति द्वारा जारी दिशानिर्देशों की संगति में किया जाना; और
- सभी उधारदाताओं द्वारा इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, जिससे अनेक निर्णय लेने से संबंधित मानदंड प्राप्त होगा।

4. विदेशी बैंचमार्क आधारित ऋण:

चूंकि मौजूदा एमसीएलआर ढांचे के अंतर्गत बैंकों की ऋण दर में नीति दर परिवर्तनों का हस्तांतरण संतोषजनक नहीं था, इसलिए, बैंकों के लिए 4 सितम्बर, 2019 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिनमें बैंकों को 1 अक्टूबर, 2019 से सभी नए अस्थायी दर के व्यक्तिगत अथवा खुदरा ऋणों को और अस्थायी दर के ऋणों को विदेशी बैंचमार्क पर आधारित एमएसई से निमानुसार जोड़ना अनिवार्य किया गया है।

- (क) बेंचमार्क: बैंक, रेपोरेट, 3 और 6 महीने की राजकोष बिल लाभप्राप्ति और कोई अन्य बेन्चमार्क जो इंडिया लि. द्वारा प्रकाशित हो, का चयन करने में स्वतंत्र हैं।
- (ख) प्रसार: बैंक, विदेशी बेंचमार्क को प्रसारित करने का निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। तथापि ऋण जोखिम प्रीमियम में तभी परिवर्तन किया जा सकता है जब उधारकर्ता के उधार निर्धारण में ऋण संविदा में यथा अनुबंधित, पर्याप्त परिवर्तन हुआ हो। इसके अतिरिक्त, प्रचालन लागत सहित प्रसारण के अन्य घटकों को तीन वर्षों में एक बार परिवर्तित किया जा सकता है।
- (ग) ब्याज दरों का पुनर्नियतन: विदेशी बेंचमार्क के अंतर्गत ब्याज दर का कम-से-कम तीन माह में एक बार पुनर्नियतन किया जाएगा।
5. सभी ग्राइवेट क्षेत्र के बैंकों (एलएबी, एसएफबी, पीबी डब्ल्यूओएस एवं विदेशी बैंक सहित) के लिए पूर्णकालिक निदेशकों /मुख्य कार्यकारी अधिकारियों महत्वपूर्ण जोखित उठाने वालों और नियंत्रण प्रकार्य कर्मचारियों आदि के लिए 01, अप्रैल, 2020 से लागू किए जाने वाले क्षतिपूर्ति संबंधी संशोधित दिशानिर्देश;
- (क) क्षतिपूर्ति का बड़ा भाग अर्थात् कम से कम 50 प्रतिशत भाग परिवर्तनीय होना चाहिए (पूर्व में ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी);
- (ख) कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाएं (ईएसओपी) शेयर संबद्ध लिखत के रूप में परिवर्तनीय भुगतान के घटक के रूप में शामिल की जाएं। (जिसे पहले अलग रखा गया था)
- (ग) परिवर्तनीय भुगतान को नियत भुगतान के 300 प्रतिशत पर सीमित किया जाएगा (पूर्व में परिवर्तनीय भुगतान को नियत भुगतान के 70 प्रतिशत पर सीमित किया गया था किन्तु इसमें ईएसओपी/शेयर संबद्ध लिखत को शामिल नहीं किया गया था)
- (घ) न्यूनतम 50 प्रतिशत परिवर्तनीय भुगतान गैर-नकदी घटक (जैसे कि ईएसओपी) के माध्यम से होगा (पूर्व में कोई विशिष्ट अनुपात निर्धारित नहीं किया गया था)।
- (ङ) परिवर्तनीय भुगतान की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, परिवर्तनीय भुगतान के लिए अनिवार्य आस्थगन तंत्र अनिवार्य करना (पूर्व में इसे एक विनिर्दिष्ट सीमा के ऊपर ही अनिवार्य किया गया था)।
- (च) एनपीए/अपसरण/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए निर्धारित सीमा के ऊपर व्यवस्थापन के मामले में 'मल्स' अधिरेपित करना अनिवार्य करना। (नया परिवर्धन)।
- (छ) महत्वपूर्ण जोखिम ग्रहणकर्ताओं की पहचान करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंड निर्धारित किए जा रहे हैं। (नया परिवर्धन)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी)

4.22 वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 की अर्ध छमाही में अति तेजी से बढ़ने के बाद, इस क्षेत्र में तब से तेजी से अवमंदन हुआ है। गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों से ऋणों की वृद्धि सितम्बर, 2018 में 27.6 प्रतिशत और दिसम्बर, 2018 में 21.6 प्रतिशत से सितम्बर, 2019 के अंत में 9.9 प्रतिशत गिरी है (चित्र 14)।


4.23 गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम क्षेत्र के तुलन-पत्र में राशि वर्ष 2018-19 के दौरान 26.18 लाख करोड़ ₹ से बढ़कर 30.85 करोड़ रुपये हो गई है जो 17.9 प्रतिशत

है। एन बी एफ सी से सम्बन्धित चिंताओं के बावजूद 21.3 प्रतिशत की यह वृद्धि वर्ष 2017-18 के दौरान दर्ज की गई शीर्ष वृद्धि थी। वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में तरलता दबाव देखा गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों के लिए एनबीएफसी के लिए निधियों की लागत में मार्च, 2019 तक गिरावट आई और आगे सितम्बर, 2019 तक और भी गिरावट हुई जैसा कि 3 माह की सीपी डिस्काउंट दर में दर्शाया गया है। (चित्र 15)

4.24 एनबीएफसी के वित्तोषण के स्रोतों में एक प्रेक्षणीय बदलाव आया है। बैंक ऋण जो कि अक्तूबर

1. सितम्बर 2019 के आकड़े अनंतिम हैं।

चित्र: 14 एनबीएफसी (वर्ष दर वर्ष) 3.4 द्वारा ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि।




स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी: 1. आंकड़े जमा लेने वाले एन बी एफ सी और गैर-जमा लेने वाले महत्वपूर्ण एन बी एफ सी, सरकारी कम्पनियों सहित।

2. जून 2018 के बाद के आंकड़े अनन्तिम हैं।

चित्र 15: तीन माह की श्रेणी-वार सी पी दर²



स्रोत: आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक)

2. सितम्बर 2019 के आंकड़े अनन्तिम हैं।


2018 में 5.62 लाख करोड़ था, अक्टूबर 2019 में बढ़कर 7.13 लाख करोड़ हो गया अर्थात् इसमें 26.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चित्र 16(क))। हालांकि यह वृद्धि अक्टूबर 2018 के अंत तक की तुलना में काफी कम है। एनबीएफसी को म्यूचुअल फंल द्वारा क्रेडिट/धन का अविनियोजन, अक्टूबर 2018 से काफी कम/संकुचित हुआ है (चित्र 16(ख))।

4.25 बाजार ऋण जो कि सितंबर 2018 में 10.4 लाख करोड़ था, सितंबर 2019 के दौरान बढ़कर 10.5 लाख करोड़ हो गया। बाजार उधार के साधनों में, वाणिज्यिक कागजात की हिस्सेदारी सितंबर 2018 से सितंबर 2019 तक 31.2 प्रतिशत घट गई, जबकि अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का हिस्सा इसी अवधि में 7.7 प्रतिशत बढ़कर 8.61 लाख करोड़ से 9.27 लाख करोड़ हो गया।

4.26 15 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता के

स्थान पर एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र की जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूर्जी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2019 के अंत तक और सितंबर, 2019 के अंत में 19.5 प्रतिशत तक बनी रही। एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र की सकल अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात, मार्च 2018 के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2019 में 6.1 प्रतिशत हो गई तथा सितंबर 2019 तक इसमें मामूली वृद्धि हुई और यह 6.3 प्रतिशत हो गई। निवल अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात में मार्च 2018 के 3.3 प्रतिशत की तुलना में मामूली वृद्धि हुई तथा यह मार्च 2019 में 3.4 प्रतिशत हो गई तथा सितंबर 2019 तक यही स्थिति बनी रही। इस क्षेत्र का परिसंपत्ति प्रतिफल (आरओए), मार्च 2018 के 1.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 1.5 प्रतिशत ही रह गया। इसके अलावा इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), मार्च 2018 के 6.9 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 6.6% ही रह गया।

चित्र 16 (क): एनबीएफसी में बैंक क्रेडिट में वृद्धि




स्रोत: आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) तथा सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड)

नोट चित्र 16 (क) के लिये

1. यह आंकड़े एच एफ सी को भी शामिल करता है।
2. यह आंकड़े अनंतिम हैं और उन चुनिंदा बैंकों से सम्बन्धित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किये गये 90 प्रतिशत तक गैर खाद्य क्रेडिट समाविष्ट करते हैं।

चित्र 16 (ख): एनबीएफसी में एमएफ द्वारा धन के अविनियोजन में वृद्धि



बॉक्स 2: गैर-बैंकिंग वित्तीय विनियमन/पर्यवेक्षण से संबंधित प्रमुख नीतिगत परिवर्तन

आईएल एंड एफएस के बाद, एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र के नियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए, जैसा कि नीचे दिया गया है।

1. एनबीएफसी सेक्टर के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन ताकि रिजर्व बैंक में निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियां निहित की जा सकें:

- क) एनबीएफसी के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि आवश्यकता को ₹ 100 करोड़ (मौजूदा ₹ 2 करोड़ से) तक बढ़ाना;
- ख) एक एनबीएफसी के निदेशक को कार्यालय/पद से हटाना (सरकारी कंपनियों के अलावा);
- ग) एनबीएफसी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण करना (सरकारी कंपनियों के अलावा);
- घ) वैधानिक लेख परीक्षक को भारतीय रिजर्व बैंक की किसी भी विनियमित संस्थाओं में से किसी के लेखा परीक्षक के रूप में कर्तव्यों का उपयोग करने से हटाना या विवर्जित करना;
- ङ) एनबीएफसी की अलग-अलग इकाइयों में व्यवहार्यता और गैर-व्यवहार्य व्यवसायों को अलग करते हुए, समामेलन पुनर्निर्माण के माध्यम से या एककों का समामेलन करते हुए समाधान करना;
- च) एक एनबीएफसी को अपने या एनबीएफसी के किसी भी समूह कंपनी के वित्तीय विवरणों को व्यवसाय या मामलों से संबंधित बयानों और सूचनाओं के रूप में संलग्न करने के लिए निर्देशित करना और एक एनबीएफसी के किसी भी समूह की कंपनी की लेखाबही का निरीक्षण या लेखापरीक्षा करना।
- छ) रिजर्व बैंक द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने की मात्रा में बढ़ि करना।

2. अधिकृत डीलर (एडी) के रूप में योग्य एनबीएफसी-एनडी-एसआई-द्वितीय श्रेणी: रिजर्व बैंक ने जनता को अपने दैनिक गैर-व्यापार चालू खाता लेनदेन के लिए प्रदान की गई सेवाओं की पहुंच और दक्षता बढ़ाने के लिए 16 अप्रैल, 2019 से गैर-डिपॉजिट लेने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण एनबीएफसी-आईसीसी को ए डी-द्वितीय श्रेणी अनुज्ञित/लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी है। पात्र एनबीएफसी को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा और रिजर्व बैंक से विशिष्ट अनुमति लेनी होगी।

3. एनबीएफसी के लिए तरलता जोखिम ढांचा: ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक की आस्तियों वाली सभी गैर-डिपॉजिट लेने वाले एनबीएफसी, ऐसी महत्वपूर्ण कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां जो व्यवस्थित हैं और डिपॉजिट लेने वाली सभी एनबीएफसी, भले ही उनकी परिसंपत्ति का आकार कुछ भी हो, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट दिशा-निर्देशों के सेट का पालन करेंगे:

- क) ग्रैन्युलर परिपक्वता समूह और छूट का स्तर,
- ख) तरलता स्थिति में विकृति का पता लगाने के लिए तरलता जोखिम निगरानी उपकरण/मीट्रिक,
- ग) संरचनात्मक और गतिशील तरलता के अलावा, तरलता के लिए “स्टॉक” दृष्टिकोण को अपनाना,
- घ) ऑफ-बैलेंस शीट और आकस्मिक देयताएं, इंट्रा-ग्रुप फंड ट्रांसफर, आदि जैसे पहलुओं के लिए सुदृढ़ नकदी जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का विस्तार, और
- ङ) ₹ 5000 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार के सभी डिपाजिट न लेने वाली सभी एनबीएफसी तथा डिपॉजिट लेने वाली सभी एनबीएफसी, (कोर निवेश कंपनियों, गैर प्रचालन वित्तीय धारक कंपनियों, स्टैंड एंलोन प्राइमरी डीलर और टाईप-1 एनबीएफसी को छोड़कर) भले ही उनकी परिसंपत्ति का आकार कुछ भी हो, के लिए तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरूआत ताकि किसी भी तीव्र तरलता दबाव से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) को बनाए रखा जा सके। समस्त एलसीआर को 1 दिसंबर 2024 तक उत्तरोत्तर 100% तक बढ़ाया जाएगा।

4. एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए सीमाओं की समीक्षा: एनबीएफसी-एमएफआई के उधारकर्ताओं के लिए घरेलू आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹ 1,00,000 के वर्तमान स्तर तथा शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों

के लिए ₹ 1,60,000 से बढ़ाकर क्रमशः ₹ 1,25,000 तथा ₹ 2,00,000 की गई है, साथ ही योग्य उधारकर्ताओं के लिए उधार देने की सीमा भी ₹ 1,00,000 से बढ़ाकर ₹ 1,25,000 प्रति उधारकर्ता कर दी गई है। यह नवम्बर 8, 2019 से प्रभावी है।

5. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां: भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2019 को आवास/गृह वित्त कंपनी (एचएफसी) का विनियमन, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

ਪੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

प्राथमिक बाजार

क. सार्वजनिक निर्गमन

4.27 पब्लिक इश्यू तथा राइट्स इश्यू के माध्यम से पिछले वर्ष की इसी अवधि में जो ₹ 44,355 करोड़ रुपये जुटाए गए थे, वर्ष 2019-20 में (दिसंबर 31, 2019 तक) कुल धनराशि बढ़कर ₹ 73,896 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में, पब्लिक एंड राइट्स इश्यू के माध्यम से प्राथमिक बाजार आर्थिक संसाधान जुटाना वर्ष 2017-18 की तुलना में कम हो गया था।

4.28 सार्वजनिक निर्गम/पब्लिक इश्यू (इक्विटी) के माध्यम से संसाधन जुटाना, अप्रैल-दिसंबर, 2019 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में घट गया, जो पिछले वर्ष की गिरावट के रुझान/प्रवृत्ति के अनुसार ही जारी रहा है। अप्रैल-दिसंबर, 2019 के दौरान, 47 कंपनियों ने सार्वजनिक इक्विटी जारी करने के माध्यम से ₹ 10,895 करोड़ जुटाए, जबकि अप्रैल से दिसंबर, 2018-19 में ₹ 13,947 करोड़ रुपये जुटाने वाली 103 कंपनियों ने 21.9 प्रतिशत की कमी का संकेत दिया। दूसरी ओर अप्रैल-दिसंबर, 2019 के दौरान राइट्स इश्यू (इक्विटी) के माध्यम से संसाधन जुटाने में पिछले वर्ष की इसी अवधि (तालिका) की 1,843

तालिका 4: लोक निर्गम (पब्लिक इशू) और अधिकार के बदले में दिए गए शेयर (राइट इशू) के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना

निर्गम प्रकार (जारी करने के प्रकार)	2016-17 से (31 दिसम्बर, 2016 तक)		2017-18 से (31 दिसम्बर, 2017 तक)		2018-19 से (31 दिसम्बर, 2018 तक)		2019-20 से (31 दिसम्बर, 2019 तक)	
	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)						
सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी)	70	24,515	134	64,141	103	13,947	47	10,895
राइट इशू (इक्विटी)	5	1,297	14	4,522	6	1,843	11	51,255
सार्वजनिक निर्गम (ऋण)	12	27,161	4	3,896	15	28,565	27	11,746
कुल सार्वजनिक निर्गम	87	52,973	152	72,559	124	44,355	85	73,896

की तुलना में ₹ 51,255 करोड़ ₹ के संसाधन जुटाने के साथ तेजी से वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 4)।

ऋण कर्ज

4.29 पिछले साल की इसी अवधि में 15 इश्यू के माध्यम से जो ₹ 28,565 करोड़ की राशि जुटाई गई थी, उसकी तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 2019 के दौरान पब्लिक को ऋण प्रतिभूति जारी करके संसाधन जुटाने में ₹ 11,746 करोड़ तक की कमी आई।

ख: निजी तौर पर शेयर आवंटन (प्राइवेट प्लेसमेंट)

4.30 2019-20 के दौरान (31 दिसम्बर 2019 तक) भारतीय कॉर्पोरेट्स ने पिछले वर्ष की इस अवधि में पूँजी को बढ़ाने के लिए निजी तौर पर शेयर आवंटन को प्राथमिकता दी। पिछले वर्ष की इसी अवधि (तालिका 5) में 2006 के निर्गम के माध्यम से ₹ 5.3 लाख करोड़ की तुलना में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अप्रैल दिसंबर 2019 में, 1520 निर्गम के माध्यम से ₹ 6.29 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

तालिका 5: प्राइवेट प्लेसमेंट (निजी तौर पर शेयर आवंटन) के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन को जुटाना

निर्गम प्रकार	2016-17 से (दिसम्बर 31, 2016 तक)		2017-18 से (दिसम्बर 31, 2017 तक)		2018-19 से (दिसम्बर 31, 2018 तक)		2019-20 से (दिसम्बर 31, 2019 तक)	
	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)	निर्गमों की संख्या	राशि ₹ (करोड़ में)
क्यू आई पी आवंटन (इक्विटी)	14	4,395	37	57,711	11	6,958	9	34,029
तरजीही आवंटन (इक्विटी)	299	30,224	307	40,668	324	1,49,921	216	1,45,404
बॉन्ड का प्राइवेट प्लेसमेंट	2,662	4,78,974	1,943	4,60,061	1,671	3,73,375	1,295	4,49,939
कुल प्राइवेट प्लेसमेंट	2,975	5,13,593	2,287	5,58,440	2,006	5,30,254	1,520	6,29,372

स्रोत: बीएसई, एनएसई, एमएसईआई और सेबी

इक्विटी

4.31 225 निर्गमों ने अप्रैल-दिसम्बर 2019 के दौरान इक्विटी के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ₹ 1.79 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए जब कि अप्रैल-दिसम्बर 2018 की अवधि में 335 निर्गमों ने ₹ 1.57 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे। 225 निर्गमों में से 9 और संस्थागत स्थान (क्यू आई पी) और ₹ 216 तरजीही आवंटन के माध्यम से ₹ 34029 करोड़ और ₹ 1.45 लाख करोड़ अप्रैल-दिसम्बर 2018 में जुटाए गए जबकि 11 क्यू आई पी आवंटन और ₹ 324 तरजीही आवंटन के माध्यम से अप्रैल-दिसम्बर 2018 में क्रमशः ₹ 6958 करोड़ और ₹ 1.50 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए।

ऋण

4.32 इसके अलावा अप्रैल-दिसम्बर 2019 के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए संसाधन ₹ 4.50 लाख करोड़ थे जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2018 के दौरान ₹ 3.73 लाख करोड़ थे।

म्यूचअल फंड गतिविधियां

4.33 अप्रैल से दिसम्बर 2019 के दौरान म्यूचअल फंड उद्योग में निवल आमद ₹ 1.9 लाख करोड़ थी जबकि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान निवल आमद 0.8 लाख करोड़ था। दिसम्बर 31, 2019 के अंत तक निवल परिसंपत्ति के अन्तर्गत सभी म्यूचअल फंड प्रबंधन में 18.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से यह ₹ 26.3 लाख करोड़ पहुंच गया था जबकि 31 दिसंबर 2018 में यह ₹ 22.2 लाख करोड़ था। (तालिका 6)।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा निवेश (एफपीआई)

4.34 अप्रैल-दिसम्बर 2019 के दौरान भारतीय पूँजीगत बाजार में एफपीआई के संदर्भ में निवल आमद ₹ 0.81 लाख करोड़ था जब कि अप्रैल-दिसम्बर 2018 के दौरान निवल प्रवाह ₹ 0.94 लाख करोड़ था। 31 दिसम्बर

2019 तक एफपीआई द्वारा कुल संचित निवेश (अधि ग्रहण लागत पर) 31 दिसम्बर 2018 (तालिका 7) तक 240.1 बिलियन यूएस डॉलर से 7.8 प्रतिशत बढ़कर 31 दिसम्बर 2019 को 259.5 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया।

भारतीय बेंचमार्क सूचकांक की गतिविधि

4.35 भारतीय बेंचमार्क सूचकांक जैसे निफिट 50 और एस एवं पी बी एस ई सूचकांक 2019-20 (16 जनवरी 2020 तक) के दौरान रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। 14 जनवरी, 2020 को एस और पीबीएसई सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के बेंचमार्क सूचकांक 41.952 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, जिसके कारण 1 अप्रैल 2019 को 38,871 के स्तर से 7.9 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी

तालिका 6: म्यूचअल फंड द्वारा निधियों को जुटाना

अवधि	फोलियो की संख्या (करोड़ में)	सकल निधियां जुटाना (₹ लाख करोड़ में)	मोचन (₹ लाख करोड़ में)	निवल आमद (₹ लाख करोड़ में)	अवधि के अंत तक निवल एयूएम (₹ लाख करोड़ में)
2018-19 (31 दिसम्बर 2018 तक)	8.03	139.30	138.50	0.80	22.20
2019-20 से (31 दिसम्बर 2019 तक)	8.71	134.30	132.50	1.90	26.30


स्रोत: सेबी

तालिका 7: विदेशी पोर्टफोलियों निवेशक द्वारा निवेश

वर्ष/महीना	सकल खरीद (₹ करोड़ में)	सकल बिक्री (₹ करोड़ में)	सकल निवेश (₹ करोड़ में)	सकल निवेश (यूएस डॉलर मिलियन से)	संचयी निवल निवेश (यूएस डॉलर मिलियन में)
2018-19 (31 दिसंबर, 2018 तक)	11,78,809	12,72,988	-94,179	-13,442	2,40,171
2019-20 (31 दिसंबर, 2019 तक)	13,79,888	12,99,141	80,746	11,465	2,59,579

स्रोत: एनएसडीएल

चित्र 17: भारतीय बैंचमार्क सूचकांक में उतार-चढ़ाव



स्रोत: बीएसई और एनएसई

बॉक्स 3: भारत में वित्तीय संविदाओं के लिए द्विपक्षीय नेटिंग को सक्षम करने के लाभ

द्विपक्षीय नेटिंग करार के द्वारा दो प्रतिपक्षकार, एक किसी दूसरे प्रतिपक्षकार को देय एकल निवल भुगतान देयता का निर्धारण करने के लिए, किसी वित्तीय संविदा में एक-दूसरे के दावों का समायोजन कर सकते हैं। इसी तरह, बहुपक्षीय नेटिंग करार के द्वारा प्रतिपक्षकार समाशोधन गृह में एक केन्द्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) में माध्यम से एक दूसरे के दावों का समायोजन कर सकते हैं। चूंकि, जिसमें प्रतिपक्षकारों का दिवालियापन, विघटन या समापन शामिल है, की स्थिति में क्लोज-आउट नेटिंग के द्वारा गैर-चूंकर्ता प्रतिपक्षकार वित्तीय संविदा को अवधिपूर्ण के पूर्व समाप्त कर सकता है और किसी एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार को देय एकल निवल राशि का निर्धारण करने के लिए आपसी दावों का योग प्रस्तुत कर सकता है।

वर्तमान में, संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम (2015) के अधीन किसी सीसीपी, जैसे कि क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), के माध्यम से अधिनिर्मित वित्तीय लेनदेन के बहुपक्षीय क्लोज-आउट नेटिंग के लिए विधिक प्रावधन मौजूद हैं। हालांकि, भारत में वित्तीय करारों के लिए द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं है यह कई चैनलों के माध्यम से बैंकों और अन्य वित्तीय बाजार सहभागियों को नाकारात्मक रूप से प्रभावित करता है:

- (i) द्विपक्षीय नेटिंग की अनुपस्थिति में, बैंकों को आरबीआई के विनियमों के अधीन निवल बाजार से बाजार तक (एमटीएम) एक्सपोजर के स्थान पर सकल एमटीएम एक्सपोजर पर आधारित ओटीसी डेरिवेटिव संविदा के लिए किसी प्रतिपक्षकार के क्रेडिट एक्सपोजर का मान निर्धारण करना आवश्यक है। इससे वित्तीय बाजार सहभागियों, विशेषकर किसी एक प्रतिपक्षकार के दिवाला हो जाने की स्थिति में, के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हो जाती है, जिससे सिस्टेमिक जोखिम में वृद्धि हो जाती है।
- (ii) बेसल III विनियामक सुधार को लागू करने के लिए आरबीआई के अनुसार बैंकों को निवल एमटीएम एक्सपोजर के स्थान पर सकल एमटीएम पर आधारित ओटीसी डेरिवेटिव संविदा के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षा की गणना करना आवश्यक है।³ यह बैंकों को द्विपक्षीय नेटिंग के लिए आवश्यक विनियामक पूंजी से अधिक विनियामक पूंजी धारण करने के लिए बाध्य करता है। आरबीआई के अनुसार, द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था भारत के ओटीसी डेरिवेट बाजार में भाग लेने वाले 31 मुख्य बैंकों को सहायता प्रदान कर सकता था, जिससे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विनियामक पूंजी में लगभग ₹ 22.58 बिलियन की बचत होती।

3. ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में पोस्ट क्राईस्यस जी20 और बेसल सुधार के लिए गैर-कॉर्डिय समाशोधित डेरिवेटिव लेनदेन, उच्च पूंजी आवश्यकता, जो सीसीपी के माध्यम से अधिनिर्मित लेनदेन के सापेक्ष हो, के अधीन होने की आवश्यकता है।

(iii) वैश्विक ओटीसी डेरिवेटिव सुधार को लागू करने संबंधी आरबीआई के वर्तमान प्रस्ताव के लिए आवश्यक है कि वित्तीय संस्थान निवल प्रतिपक्षी एक्सपोजर के स्थान पर सकल प्रतिपक्षी एक्सपोजर के आधार पर ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए प्रतिपक्षकारों के साथ मार्जिन⁴ (संपाश्विक⁵) विनियम करें। इस सुधार के लागू होने से बैंक, द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति प्राप्त होने पर जितनी पूँजी की आवश्यकता होगी, उससे अधिक पूँजी संपाश्विक अपेक्षाओं की ओर डायवर्ट करने के लिए प्रेरित होंगे। सीसीआईएल के अनुमान के अनुसार, यदि मार्जिन विनियम लागू हो जाती तो बैंकों और प्राथमिक डिलरों को मार्च, 2018 तक मार्जिन⁵ के रूप में लगभग ₹ 436.98 बिलियन धारण करना होगा। (भारत में कॉर्पोरेट बॉड बाजार के विकास पर आरबीआई कार्य ग्रुप का रिपोर्ट, 2016)

(iv) उच्च विनियामक पूँजी बोझ वित्तीय संविदा के संबंध में व्यापार क्रियाकलाप को लेन-देन के उच्च लागत में रूपांतरित करके अधिक पूँजी इंटेंसिव बनाता है। यह गहराई के संबंध में बाजार चलनिधि और बाजार विकास को प्रभावित करके बैंकों और प्राथमिक डिलरों के बाजार में सहभागिता को कम कर देता है। यह उन मुख्य कारकों में से एक है जो भारत के क्रेडिट डिफॉल्ट स्कैप (सीडीएस) बाजार के कार्यकलाप में व्यवधान उत्पन्न करता है।

वित्तीय स्थिरिता बोर्ड (एफएसबी) और बेसेल समिति जैसी वैश्विक नियामक निकायों ने वित्तीय स्थिरिता पर सकारात्मक प्रभाव के कारण क्लोज-आउट नोटिंग के उपयोग का समर्थन किया है। वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र, यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और मलेशिया जैसे मुख्य अधिकार क्षेत्रों में नोटिंग करार के स्थान पर विधिक प्रावधान मौजूद हैं।

अतः, भारत में द्विपक्षीय क्लोज-आउट नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित करने से निम्नलिखित सहायताएं प्राप्त होंगी: (क) बैंकों के क्रेडिट जोखिम और नियामक पूँजी बोझ को कम किया जा सकेगा, अन्य उत्पादक उपयोगों के लिए पूँजी को मुक्त किया जा सकेगा; (ख) बचाव (हेजिंग) लागत कम किया जा सकेगा और बैंकों के चलनिधि की आवश्यकता को कम किया जा सकेगा, जिसके फलस्वरूप जोखिम से बचाव के लिए ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। सीडीएस बाजार में बाजार की भागीदारी बढ़ने से भी कॉरपोरेट बॉड बाजार के विकास के लिए एक प्रोत्साहन प्राप्त होगा; (ग) प्रतिपक्षकार द्वारा चूक की स्थिति में वित्तीय संविदाओं के लिए एक कुशल वसूली तंत्र स्थापित किया जा सकेगा; और (घ) ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में वैश्विक विनियामक सुधारों को लागू करने के लिए भारत की जी 20 और एफएसबी प्रतिबद्धता का पालन किया जा सकेगा।

देखी गई है। 16 जनवरी, 2020 को निफ्टी 50 का सूचकांक 12355 के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ (चित्र 17)।

बीमा क्षेत्र

4.36 अंतर्राष्ट्रीय रूप से, बीमा क्षेत्र की संभावना और निष्पादन सामान्यतः दो पैरामीटरों के आधार पर मूल्यांकित की जाती है अर्थात् बीमा संबंधी निवेश और बीमा संबंधी सघनता। बीमा संबंधी निवेश और सघनता का मापन देश में बीमा क्षेत्र के विकास स्तर को प्रदर्शित

करता है। यद्यपि बीमा निवेश जीडीपी के बीमा प्रीमियम की प्रतिशतता के रूप में मापित होता है, जब कि बीमा संबंधी सघनता जनसंख्या के प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिकलित किया जाता है (अंतर्राष्ट्रीय तुलना की सुविधा के लिए अमेरिकी डालर में मापा गया है)।

4.37 भारत में बीमा संबंधी सघनता 2001 में 11.5 अमेरिकी डालर थी, जो 2018 में 74 अमेरिकी डालर तक पहुँच गई (जीवन बीमा-55 अमेरिकी डालर और गैर जीवन बीमा-19 अमेरिकी डालर)। इसी अवधि के दौरान मलेशिया, थाईलैंड और चीन के लिए तुलनात्मक

4. ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में पोस्ट क्राइसिस जी20 और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन अॉफ सिक्योरिटीज कमिशन (आईओएससीओ सुधारों के लिए प्रतिपक्षकार द्वारा गैर-केंद्रित समाशोधित डेरिवेटिव लेनदेन के लिए मार्जिन (संपाश्विक) का विनियम किए जाने की आवश्यकता है।
5. ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन में प्रतिपक्षकार एक्सपोजर के दो प्रकारों पर आधारित दो प्रकार के मार्जिन होते हैं। वेरियेशन मार्जिन किसी भी समय में डेरिवेटिव के एमटीएम मूल्य पर आधारित वर्तमान एक्सपोजर से प्रतिपक्षकार को सुरक्षा प्रदान करता है। इनिशियल मार्जिन प्रतिपक्षकार द्वारा चूक की स्थिति में इसे क्लोज आउट किए जाने और स्थिति में परिवर्तन होने के दौरान डेरिवेटिव संविदा के एमटीएम मूल्य में होने वाले परिवर्तन के कारण संभावित भावी एक्सपोजर से प्रतिपक्षकार को सुरक्षा प्रदान करता है।
6. ये अनुमान इनिशियल मार्जिन के लिए हैं। यदि वेरियेशन मार्जिन अनुमान को शामिल कर लिया जाता है तो बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता उत्पन्न हो जाएगी।

बॉक्स 4: परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

नई पेंशन योजना, जिसके नाम को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के रूप में बदल दिया गया है, जिसे 22 दिसम्बर, 2003 को सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था और जिन केंद्र सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बल के अलावा) ने 1 जनवरी, 2004 से सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उनके लिए इसे अनिवार्य बना दिया गया था। राज्य सरकारों तक इस योजना का विस्तार किया गया था और अब तक 28 राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एन. पी. एस. को अधिसूचित किया है। मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर देश के सभी नागरिकों तक इस योजना का विस्तार किया गया था।

30 सितम्बर, 2019 तक, एन. पी. एस. के तहत कुल लगभग 3.06 लाख अभिदाताओं को (अटल पेंशन योजना सहित) नामांकित किया गया है। प्रबंधन के तहत ऐसी परिस्थितियाँ (ए. यू. एम.), जिनमें एन. पी. एस. के तहत कोर्पस पर प्रतिलाभ शामिल होते हैं, वे 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसान 3.18 लाख करोड़ ₹ से 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार 3.71 लाख करोड़ तक की वृद्धि के साक्ष्य रह चुके हैं। 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार ए. पी. वाई. (अटल पेंशन योजना) के कुल 178.21 लाख अभिदाता हैं और 8,743 करोड़ की जिसकी ए. यू. एम. (प्रबंधन के तहत परिस्थितियाँ) हैं (तालिका 1)।

तालिका 1: एन. पी. एस./ए. पी. वाई. के तहत अभिदाताओं की संख्या, कोर्पस और प्रबंधन के तहत परिस्थितियाँ (30 सितम्बर 2019 की स्थिति के अनुसार)

सेक्टर (क्षेत्र)	अभिदाताओं की संख्या		अंशदान (करोड़ में)		प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (करोड़ में)	
	Absolute	%	Absolute	%	Absolute	%
केंद्र सरकार	18,31,307	14	75,504	28	1,07,409	30
केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सी. ए. बी.)	1,94,419	2	12,796	5	17,294	5
राज्य सरकार	38,56,844	30	1,26,668	46	1,68,547	46
राज्य स्वायत्त निकाय	7,01,274	5	17,229	6	18,412	5
कॉर्पोरेट	9,68,019	8	28,307	10	36,580	10
असंगठित क्षेत्र	9,25,810	7	10,986	4	10,777	3
ए. पी. एस. लाइट	43,39,836	34	2,624	1	3,631	1
कुल	1,28,17,509	100	2,74,115	100	3,62,650	100
ए. पी. वाई.	1,78,21,441		7,927		8,743	
कुल	3,06,38,950		2,82,042		3,71,393	

स्रोत: सी. आर. ए. रिपोर्ट

टिप्पणी: * मिलान करके दर्ज किया गया है।

सरकार के भीतर, उत्तर प्रदेश में अभिदाताओं की अधिकतम संख्या है और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र आते हैं। प्रबंधन के तहत अत्यधिक परिस्थितियाँ राजस्थान में हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं (तालिका 2)।

तालिका 2: ए. पी. एस. के तहत भौगोलिक विस्तार (सरकारी क्षेत्र)

क्रम सं.	राज्य सरकार	अभिदाताओं की कुल संख्या	अंशदान (₹ करोड़)	ए. यू. एम. (₹ करोड़)
1.	आंध्र प्रदेश	1,85,951	7,946.11	10,408.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	17,411	406.50	485.19
3.	অসম	1,55,251	5,296.16	6,814.88
4.	बिहार	1,68,073	5,423.78	7,297.47
5.	चंडीगढ़**	10,968	630.45	836.18

6.	छत्तीसगढ़	2,96,468	7,317.75	9,428.50
7.	गोवा	32,450	1,394.32	1,756.79
8.	गुजरात	2,17,338	7,331.63	9,531.89
9.	हरियाणा	1,71,028	6,807.18	9,071.93
10.	हिमाचल प्रदेश	93,260	3,865.18	4,716.86
11.	जम्मू और कश्मीर	1,22,831	3,541.61	4,525.77
12.	झारखण्ड	1,08,136	4,226.41	5,814.52
13.	कर्नाटक	2,40,767	8,304.64	11,426.90
14.	केरल	1,25,480	2,164.48	2,558.24
15.	मध्य प्रदेश	4,87,695	12,703.13	16,465.36
16.	महाराष्ट्र	3,14,158	12,019.46	14,936.13
17.	मणिपुर	41,973	971.69	1,252.80
18.	मेघालय	14,554	333.18	411.49
19.	मिजोरम	7,985	211.56	250.44
20.	नागालैंड	21,073	402.80	476.23
21.	ओडिशा	1,64,378	4,406.22	5,662.72
22.	पुदुचेरी**	13,207	729.50	970.02
23.	पंजाब	1,82,190	6,740.35	8,931.20
24.	राजस्थान	4,81,493	16,897.74	22,118.90
25.	सिक्किम	15,344	443.08	577.30
26.	तेलंगाना	1,53,764	5,449.12	7,372.21
27.	उत्तराखण्ड	80,962	4,005.84	5,410.68
28.	उत्तर प्रदेश	6,26,116	13,800.19	17,280.20
29.	तमिलनाडु*	187	18.25	20.75
30.	त्रिपुरा	652	3.76	4.47
31.	पश्चिम बंगाल*	330	23.47	34.09
	कुल	45,51,473	1,43,815.54	1,86,848.62

स्रोत: पीएफआरडीए

टिप्पणी: *: अखिल भारतीय सेवा संबंधी अधिकारी के लिए केवल सी.आर.ए. और एन.पी.एस. ट्रस्ट के साथ निष्पादित करार।

**: राज्य सरकार के तहत शामिल की गई स्थिति।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उठाए गए प्रमुख कदम

केंद्र सरकार के एन.पी.एस. के अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित विकल्पों की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है (केवल वृद्धिशील अधिकता के संबंध में पेंशन फंड्स या निवेश संबंधी पैटर्न में परिवर्तन करने की अनुमति दी जाती है):

- क) पेंशन फंड का विकल्प: जैसा कि निजी क्षेत्र के अभिदाताओं के मामले में, सरकारी अभिदाताओं को निजी क्षेत्र के पेंशन फंड्स को सम्मिलित करते हुए किसी एक पेंशन फंड को चुनने की भी अनुमति दी जाएगी। वे वर्ष में एक बार अपना विकल्प बदल सकते हैं। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन फंड्स के संयोजन का वर्तमान प्रावधान मौजूदा और साथ ही साथ नए सरकारी अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा।
- ख) निवेश पैटर्न का विकल्प: सरकारी कर्मचारी वित्तीय वर्ष में दो बार निवेश पैटर्न के निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:
- जिस मौजूदा योजना में पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संबंधी फंड के तीन प्रबंधकों के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए पी.ए.आर.डी.ए. के दिशानिर्देशानुसार उनके गत क्रियानिष्पादन के आधार पर फंड्स आवंटित किए जाते हैं।

- जो सरकारी कर्मचारी कम से कम जोखिम वाले नियत प्रतिलाभ को तरजीह देते हैं, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार के फंड्स का 100 प्रतिशत हिस्सा निवेश करने का विकल्प दिया जाएगा।
- जो सरकारी कर्मचारी बढ़िया प्रतिलाभ को तरजीह देते हैं, उन्हें लाइफ साइकिल (जीवन काल) पर आधारित निम्नलिखित दो योजनाओं का विकल्प दिया जाएगा:
 - 25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई इक्विटी के लिए अधिकतम अरक्षितता के साथ अपरिवर्तनशील लाइफ साइकिल फंड।
 - 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई इक्विटी के लिए अधिकतम अरक्षितता के साथ संयत लाइफ साइकिल फंड।

आंकड़े क्रमशः 518 अमेरिकी डालर, 385 अमेरिकी डालर और 406 अमेरिकी डालर थी। 2011 से जीवन बीमा के लिए प्रवेश में कमी आई है जबकि गैर-जीवन बीमा में निरंतर रूप से वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2018 में जीवन बीमा के लिए 2.74 प्रतिशत और गैर जीवन बीमा के लिये 0.97 प्रतिशत है। (तालिका 8 और 9) वैश्विक रूप से बीमा निवेश और सघनता 3.31 प्रतिशत तथा जीवन बीमा खण्ड के लिए 370 अमेरिकी डालर थी, गैर-जीवन बीमा खण्ड के लिए 2.78 प्रतिशत और 312 अमेरिकी डालर थी। क्रमशः:

4.38 12.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2018-19 के दौरान, गैर-जीवन बीमित क्षेत्र का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 1.51 लाख करोड़ की तुलना ₹ 1.69 लाख करोड़ था। मोटर और स्वास्थ्य खण्ड ने प्राथमिक रूप से इस वृद्धि की रिपोर्ट करने में उद्योग की सहायता की। 10.75 प्रतिशत

की वृद्धि दर्ज करते हुए, जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 4.59 लाख करोड़ रुपये की तुलना वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 5.08 लाख करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की गई। यद्यपि नवीकरण प्रीमियम ने जीवन बीमित से प्राप्त कुल प्रीमियम का 57.68 प्रतिशत का लेखा जोखा किया, शेष नव व्यवस्था ने 42.32 प्रतिशत का योगदान दिया।

अक्षमता और दिवालियापन संहिता

महत्वपूर्ण परिवृद्धि (विकास)

4.39 प्रचालन के तीन वर्षों में, शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आई.बी.सी.) के अंतर्गत मौजूद व्यवस्था एक मजबूत परिस्थितिकी तंत्र पर आत्मशलाघा करती है, जो निर्णयन प्राधिकारी, आई.बी.बी.आई., तीन शोधन अक्षमता पेशेवर एजेंसियों, आरबीबीआई, 11 पंजीकृत मूल्य निर्धारक संगठनों और 2,374 पंजीकृत

तालिका 8: जीवन बीमा में पैठ

विवरण	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
बीमा पैठ (प्रतिशत में)	3.40	3.17	3.10	2.60	2.72	2.72	2.76	2.74
बीमा संबंधी सघनता (अमेरिकी डालर में)	49.0	42.7	41.0	44.0	43.2	46.5	55.0	55.0

स्रोत: स्विस रे, सिग्मा

तालिका 9: गैर-जीवन बीमा में विस्तार

विवरण	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
बीमा संबंधी पैठ(प्रतिशत में)	0.70	0.78	0.80	0.70	0.72	0.77	0.93	0.97
बीमा संबंधी सघनता (अमेरिकी डॉलर में)	10.0	10.5	11.0	11.0	12.0	13.2	18.0	19.0

स्रोत: स्विस रे, सिग्मा

7. तिमाही जुलाई-सितम्बर, 2019 के लिए आई.बी.बी.आई. तिमाही सूचनापर में प्रकाशित 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार आंकड़े।

मूल्य निर्धारकों⁷ व 2,911 शोधन अक्षमता संबंधी पेशेवरों 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार) से मिलकर बनती है। सदृश्य देनदार और लेनदार 2,542 कॉर्पोरेट्स के साथ इस संहिता के प्रक्रियाओं को आंभ कर रहे हैं, उनमें से कुछ कॉर्पोरेट्स के पास बहुत ही अधिक मात्र में गैर निष्पादित परिसम्पत्ति संबंधी लेखा है और जो कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता प्रस्ताव प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। सितम्बर, 2019 तक, उनमें से लगभग 743 कॉर्पोरेट्स ने या तो प्रस्ताव या परिसमापन को

मानने वाली प्रक्रिया पूरी कर ली है और 498 कॉर्पोरेट्स ने स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया⁸ प्रारंभ कर ली है। उनमें से 562 कॉर्पोरेट्स ने अक्टूबर-दिसम्बर, 2019 में कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता प्रस्ताव प्रक्रिया (सी.आई.आर.पी.) शुरू की थी, 132 परिसमापन के अंतर्गत है, 14 का पहले से ही निपटान किया जा चुका है (तालिका 10)। दिसम्बर, 2019 को समाप्ति स्थिति के अनुसार हल किए गए मामलों में 1.58 लाख करोड़ ₹ वसूली योग्य थे (तालिका 11)

तालिका 10: मामलों की तिमाही प्रवृत्तियां

तिमाही के दौरान	अप्रैल-जून 2019	जुलाई-सितम्बर 2019	अक्टूबर-दिसंबर 2019
तिमाही के दौरान प्रारंभ किए गए/स्वीकृत सी.आई.आर.पी. की कुल संख्या	300	565	562
तिमाही के दौरान जिन मामलों में समाधान योजना अनुमोदित की गई है, उनकी कुल संख्या	27	32	30
तिमाही के दौरान वापिस लिए गए मामलों की कुल संख्या	24	18	5
तिमाही के दौरान निपटान किए गए मामलों की कुल संख्या	22	24	14
तिमाही के दौरान परिसमापन के तहत मामलों की कुल संख्या	96	153	132
सभी स्वीकृत मामलों में सी.आई.आर.पी. आंभ किया गया है, उनका श्रेणी-वार वितरण (वित्तीय लेनदार, प्रचालनात्मक लेनदार, कॉर्पोरेट देनदार)।	वित्तीय लेनदार-129 प्रचालनात्मक लेनदार-154 कॉर्पोरेट देनदार-17	वित्तीय लेनदार-265 प्रचालनात्मक लेनदार-291 कॉर्पोरेट देनदार-9	वित्तीय लेनदार-245 प्रचालनात्मक लेनदार-301 कॉर्पोरेट देनदार-16

स्रोत: आई.बी.बी.आई.

तालिका 11: कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया के अंतर्गत समाधान किए गए मामलों के लिए वसूलनीय मूल्य (करोड़ ₹ राशि)

	अप्रैल-जून 2019	जुलाई- सितम्बर, 2019	अक्टूबर-दिसंबर 2019
समाधान किए मामले में वित्तीय लेनदारों और प्रचालनात्मक लेनदारों के द्वारा समग्र वसूलनीय मूल्य	7,331.90	27,534.48	1,900.52
संबंधित तिमाही के अंत तक कुल प्राप्त मूल्य	1,28,095.16	1,55,861.99	1,57,762.51

स्रोत: आई.बी.बी.आई.

टिप्पणी: # 1 प्रतीक्षित मामले का आंकड़ा

8 प्रतीक्षित मामलों के आंकड़े

मामले, एनसीएलटी आदेशों की तारीख के अनुसार शामिल किए जाते हैं।

8. जुलाई-सितम्बर, 2019 के लिए आई.बी.बी.आई. तिमाही सूचनापत्र में प्रकाशित 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार आंकड़े।

4.40 ये मामले विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत फाइल लिए गए हैं। सीआईआरपी के लिए एनसीएलटी के द्वारा स्वीकृत मामलों का 41.2 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में तथा उसके बाद स्थावर संपदा (रियल इस्टेट), किराया और व्यवसाय गतिविधियां सेक्टर (तालिका 12) में 19 प्रतिशत है।

4.41 सरकार ने मुद्दों को अग्रसक्रिय रखा है जो सुधार के कार्यान्वयन में आया है। 2016 में इसके अधिनियमन से, इतने अल्प अवधि में सहिता में तीन बार संशोधन किए जा चुके हैं, जिससे मुख्य रूप से प्रक्रिया को सरल बनाने और किसी कमी को दूर करने के लिए कोड का प्रावधान का उचित प्रचालन सुनिश्चित हो सके।

4.42 प्रथम संशोधन धारा 29क में शुरूआत की गई

थी जो अपनी कंपनियों के लिए बोली लगाने से बार प्रवर्तकों को पेश किए गए प्रावधान से संबंधित है। इससे चूककर्ताओं को सस्ते मूल्य पर अपनी कंपनियों को पुनः नियंत्रण प्राप्त करने से रोकता है। द्वितीय संशोधन धारा 12क की शुरूआत याचिका फाइल करने के 30 दिन के अंदर दिवालियापन आवेदन वापस करने के लिए लेनदारों को विकल्प प्रदान करने के लिए की गई थी। संशोधन यह भी दर्शाता है कि घरेलू क्रेताओं को वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाएगा क्योंकि जो दिवालियापन गतिविधि क्रेताओं का मत व्यक्त करेंगे। वे अग्रिम भुगतान करते हुए परियोजनाओं के लिए निधि भी प्रदान करता है और न केवल बैंकों अपितु अपने ग्राहकों को भी वचनबद्धता की दृष्टि से रियल इस्टेट डेवलपर को हतोत्साहित करते हैं। तृतीय संशोधन प्राथमिक रूप से समाधान प्रक्रिया का

तालिका 12: सीआईआरपी के लिए एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत कुल मामले का सेक्टर-वार व्यौरा

सेक्टर*	अप्रैल-जून 2019	जुलाई-सितंबर 2019	अक्टूबर-दिसंबर 2019
अतिरिक्त प्रादेशिक संगठन और निकाय	1	4	3
कृषि, शिकार और वानिकी	9	18	15
निर्माण	28	64	65
शिक्षा	2	1	2
बिजली, गैस और जल आपूर्ति	7	23	22
वित्तीय मध्यस्थता	4	6	5
स्वास्थ्य और समाज कार्य	3	5	9
होटल और रेस्टोरेंट	8	12	12
विनिर्माण	125	208	232
खनन और उत्खनन	2	5	5
अन्य समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां	4	5	7
अन्य	4	8	8
स्थावर संपदा: किराया और व्यवसाय गतिविधियां	62	125	109
परिवहन, भंडारण और संप्रेषण	8	22	12
थोक बिक्री और खुदरा व्यापार मोटर वाहन, मोटर साइकिल और व्यक्तिगत एवं घरेलू सामग्री की मरम्मत	33	59	55
मत्स्य पालन	0	0	1
कुल योग	300	565	562

स्रोत: आई बी बी आई

नोट: वितरण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण-2004 के अनुसार निगम उधारकर्ताओं (सीडी) के सी आई एन पर आधारित है।

समय से नामांकन और पूर्ण सुनिश्चित करते हुए सीडी का पुनःप्रवर्तन पर केंद्रित किया है। संशोधन सुनिश्चित करता है कि समाधान आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए एनसीएलटी को दिए गए 14 दिन की समय सीमा अवधि का कड़ाई से पालन किया जाएगा। संशोधन में बिना अपवाद के कार्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सी आई आर पी) को पूर्ण करने के लिए 330 दिनों की अनिवार्य समयावधि का अलग से उल्लेख किया गया है, दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब से बचने के लिए स्टेकहोल्डरों के बीच अनुशासन लाने के लिए अविरत प्रयास करता है। सरकार विशेष रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में बाध्यकारी समाधान योजना बनाने हुए तृतीय संशोधन में सुविधाकारक के रूप में अपनी दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि भी करती है जिसे देयता की अदायगी के संबंध में ऋण देय है।

4.43 भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड (आई बी बी आई) ने 24 माह के उत्कृष्ट स्नातक

दिवालियापन कार्यक्रम की परिकल्पना की है। 31 दिसंबर, 2019 के अनुसार पंजीकृत दिवालियापन पेशेवर 2911 है (तालिका 13) भारतीय कार्पोरेट कार्य संस्थान ने 1 जुलाई, 2019 को जी आई पी के प्रथम बैच की शुरूआत की।

4.44 आईबीसी के तहत संकल्प अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में बहुत अधिक है। भारत में बैंकिंग प्रक्रिया और रुझान की 2018-19 की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2017-18 और 2018-19 में बसूल की गई प्रतिशत में राशि के अनुसार यह राशि लोक अदालत, डीआरटी की तुलना में बहुत अधिक है (तालिका 14)। इस कोड में सीआईआरपी का समापन करने के लिए 330 दिनों का प्रावधान किया गया है। इस प्रोत्साहन का अर्थ है कि कोड के तहत कार्यवाही लगभग 340 दिन चलती है, जिसमें मुकदमेबाजी पर लगाया गया समय भी शामिल है, इसके विपरी पिछली प्रक्रियाओं में लगभग 4.3 साल लगते थे।

तालिका 13: 31 दिसंबर, 2019 के अनुसार पंजीकृत दिवालियापन पेशेवर

शहर/क्षेत्र	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का दिवालियापन पेशेवर का भारतीय संस्थान	आईसीएसआई दिवालियापन पेशेवर संस्थान	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का दिवालियापन पेशेवर एजेंसी	कुल
नई दिल्ली	355	223	60	638
शेष उत्तर क्षेत्र	287	161	46	494
मुंबई	340	114	31	485
शेष पश्चिम क्षेत्र	208	89	29	326
चेन्नई	113	72	11	196
शेष दक्षिण क्षेत्र	288	153	43	484
कोलकाता	169	34	16	219
शेष पूर्वी क्षेत्र	50	18	5	73
कुल पंजीकृत	1,810	864	241	2,915
निरस्त किये गए	1	3	0	4
31 दिसंबर, 2019 के अनुसार पंजीकृत	1,809	861	241	2,911

स्रोत: आई बी बी आई

तालिका 14 विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए

वसूली का चैनल	2017-18					2018.19(पी)				
	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि	कॉलम (3) के प्रतिशत के रूप में कॉलम (4)	संदर्भित मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि	कॉलम 7 के प्रतिशत के रूप में कॉलम 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
लोक अदालत	33,17,897	45,728	1,811	4.0	40,80,947	53,506	2,816	5.3		
डीआरटी	29,345	1,33,095	7,235	5.4	52,175	30,66,499	10,574	3.5		
एसएआरएफएईएसआई अधिनियम	91,330	81,897	26,380	32.2	2,48,312	2,89,073	41,876	14.5		
आईबीसी	704@	9,929	4,926	49.6	1,135@	1,66,600	70,819	42.5		
कुल	34,39,276	2,70,631	40,352	14.9	43,82,569	8,15,678	1,26,085	15.5		

स्रोत: भारत में बैंकिंग और प्रक्रिया पर रिपोर्ट 2018-19 (जिनका स्रोत आरबीआई और आईबीबीआई की ऑफ साइट विवरणियाँ हैं)

टिप्पणी: पी. : अनंतिम

* : दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि से संदर्भित, जो पिछले वर्ष के समान दिए गए के दौरान भेजे गए मामलों के संबंध में हो सकते हैं।

डीआरटी: ऋण वसूली अधिकरण; वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 / : राष्ट्रीय कंपनी नियम अधिकरण (एलसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले।

2017-18 और 2018-19 के लिए आईबीसी से संबंधित आंकड़ों की गणना आईबीबीआई न्यूज लैटर से त्रैमासिक संख्याओं को जोड़ कर की गई है।

अध्याय एक नजर में

- वर्ष 2019-20 में मौद्रिक नीति उदार बनी रही।
- वर्ष 2019-20 में (दिसंबर तक) आयोजित पांच बैठकों में से चार में रेपों दर में कटौती की गई। वर्ष 2019-20 में अब तक, रेपों दर में 110 आधार बिंदुओं में कटौती की गई।
- वर्ष 2019-20 में बैंक ऋण वृद्धि की दर में मंदी रही और अप्रैल, 2019 में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 20 दिसंबर, 2019 को यथार्थता, यह 7.1 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) पर है।
- एनओएफसी से ऋणों की वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष), सितंबर, 2018 में 27.6 प्रतिशत और दिसंबर, 2018 में 21.6 प्रतिशत से गिरकर सितंबर, 2019 के अंत में 9.9 प्रतिशत पर आ गई।
- मार्च से सितंबर, 2019 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए 9.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा।
- प्रणालीगत तरलता 2019-20 में ज्यादातर अधिशेष में रही। भारित औसत काल मुद्रा दर अधिकतर नकदी समायोजन सुविधा (एस ए एफ) के अंतर्गत रेपो रेट के नजदीक रही।

- वर्ष 2019-20 के दौरान (16 जनवरी, 2020 तक) निफ्टी 50 और बीएसई सूचकांकों ने क्रमशः 12,355 और 41,952 अंकों की उच्च बंदी दर्ज की।
- सार्वजनिक निर्गम एवं अधिकारों के माध्यम से उठाई गई कुल धनराशि वर्ष 2019-20 में (31 दिसंबर, 2019 तक) बढ़कर 73,896 करोड़ रुपए हो गई जोकि विगत वर्ष की संगत अवधि में 44,355 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2019-20 में (31 दिसंबर, 2019 तक) निजी स्थापनां (संस्थाओं) के माध्यम से 6.29 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई जबकि विगत वर्ष की संगत अवधि में यह धनराशि 5.3 लाख करोड़ थी।
- दिसंबर, 2019 में अंत में यथास्थिति, कार्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत निपटाए गए मामलों में 1.58 लाख रुपए की वसूली की गई। आईबीसी कोड के अधीन की जाने वाली कार्यवाही में औसतन लगभग 340 दिन लगते हैं, जिनमें अदालती कार्यवाही पर खर्च होने वाली अवधि भी शामिल है, जबकि इसके विपरीत पूर्ववर्ती व्यवस्था में ऐसी प्रक्रिया में लगभग 4.3 वर्ष लग जाते थे।